न्यायालय उपजिलाधिकारी सिराथू–कौशाम्बी

वाद सं0 13 वर्ष 2011 धारा 143 ज0वि0अधिनियम

ग्राम मौलर परगना कड़ा, तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक श्री अभय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा फतेहपुर मुख्य ट्रस्टी बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान अझुवा कौशाम्बी।

बनाम

सरकार

निर्णय दि0 18/8/2011

प्रस्तुत वाद अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक श्री अभय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा फतेहपुर मुख्य ट्रस्टी बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान अझुवा कौशाम्बी द्वारा इस अभिकथन के साथ योजित किया कि अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा जनपद कौशाम्बी प्रबंधक अभय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा फतेहपुर मुख्य ट्रस्टी बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान अझुवा कौशाम्बी वाद पत्र में अंकित आराजी सं0 727ड० रकबा 0.247हे0, 725 रकबा 0.559हे0 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल 0.806हे0 भू–राजस्व 17.50पैसे में से 0.502हे0 यानि 5060 वर्गमीटर पर स्थित है। अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा जनपद कौशाम्बी में 4 कमरे हाल की शक्ल में बने है तथा 1 कमरा कार्यालय के प्रयोग में आता है तथा वाद पत्र के अंत मे अंकित भूमि पर बाउंड्री 6 फिट ईंट की दिवार घिरी हुयी है। यह कि डिग्री कालेज की आराजी में कृषि कार्य नही किया जाता है। डिग्री कालेज में कृषि न होने के कारण आकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायहित में नियतांत आवश्यक है। अंत में वादी द्वारा याचना की गयी है कि आराजी सं0 727ड० रकबा 0.247हे0, 725 रकबा 0.559हे0 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल 0.806हे0 भू–राजस्व 17.50पैसे में से 0.502हे0 यानि 5060 वर्गमीटर भूमि अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक श्री अभय प्रताप सिंह

[illegible] प्रताप सिंह [illegible] के नाम आकस्मिक दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जावे।

पत्रावली तहसीलदार सिराथू को जांच आख्या प्रेषित की गयी। तहसीलदार सिराथू की जांच आख्या दिनांक 11-03-11 सहित पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त वाद पंजीकृत किया गया तथा प्रतिपक्ष को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है।

मैंने वादी के अधिवक्ता तथा गांवसभा अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर संलग्न खतौनी 1412 लगायत 1415 फसली पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत प्रारूप दिनांकित 11-03-11, नजरी नक्शा आराजी सं0 725, 727ड एवं क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 10-03-11, राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 11-03-11 एवं तहसीलदार सिराथू की आख्या दिनांक 11-03-11 का भली-भांति अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम भीटर, परगना कड़ा, तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली में अमर प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक श्री अमर प्रताप सिंह पुत्र युवराज सिंह निवासी नई बाजार खागा जिला फतेहपुर मुख्य ट्रस्टी बाबू युवराज सिंह सेवा संस्थान का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर [illegible] दर्ज है। राजस्व निरीक्षक तहसीलदार आख्यानुसार ग्राम भीटर की खतौनी में गाटा सं0 727ड व गाटा संख्या 725 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल 0.502हे0 भूमि अमर प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक अमर प्रताप सिंह मुख्य ट्रस्टी बाबू युवराज सिंह के नाम अंकित है। उक्त भूमि पर बाबू अमर प्रताप सिंह डिग्री कालेज का नाम अंकित है तथा मौके पर उक्त आराजी पर 1 हाल अर्धनिर्मित बना है खम्भे द्वारा [illegible] कमरे [illegible] बना है। कमरे के [illegible] आ गयी है। उक्त भूमि मौके पर जोती-बोयी नहीं जाती है। उक्त भूमि को आकस्मिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है। तहसीलदार सिराथू ने अपनी आख्या दिनांक 11-03-11 में अंकित किया है कि ग्राम भीटर की गाटा सं0 727ड0 व 725 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल [illegible]हे0 में से 0.502हे0 भूमि अमर प्रताप सिंह महाविद्यालय अझुवा कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक अमर प्रताप सिंह मुख्य ट्रस्टी बाबू युवराज सिंह सेवा संस्थान की भूमि आकस्मिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। तहसीलदार सिराथू की आख्या दिनांक 11-03-11 स्वीकार किये जाने योग्य है। इसलिये ग्राम भीटर परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की आराजी सं0 727ड0 व 725 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल [illegible]हे0 में से 0.502हे0 भूमि अमर प्रताप सिंह महाविद्यालय

अझुवा कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक अभय प्रताप सिंह मुख्य ट्रस्टी बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान के नाम शैक्षिक/आकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम भीतर, परगना कड़ा, तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की आराजी सं0 727अ0 क्षेत्रफल 0.247हे0 व 725 क्षेत्रफल 0.559हे0 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल 0.806हे0 भू-राजस्व 17.50पैसे में से 0.502हे0 भूमि शैक्षिक प्रयोजन हेतु अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा कौशाम्बी द्वारा प्रबंधक श्री अभय प्रताप सिंह पुत्र युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा जिला फतेहपुर मुख्य ट्रस्टी बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान के नाम अकृषिक घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उपनिबंधक सिराथू को प्रेषित हो। परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद परवाना पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 18/2/11

उपजिलाधिकारी
सिराथू-कौशाम्बी
18/2/11

Name of Applicant ....
Date of Application 8/3/2011
Date of Notice 18/3/2011
Date of Delivery 18/3/2011
14.00
Words 500 शब्द
Copied by P.S.
Compared by

सत्य प्रतिलिपि
18/3/2011
सिराथू-कौशाम्बी

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE

17/14×8